रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 149] नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 1974/ज्येष्ठ 29, 1896
No. 149] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 1974/JYAISTHA 29, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 19th June 1974

SUBJECT :—*Import Policy for Registered Exporters for the period April 1974—March 1975.*

No. 89-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Volume II) for the period April 1974—March 1975 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 44-ITC (PN)/74 dated the 2nd April, 1974.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below :—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
7	Section I—Part B Para 22	The figure and word "15th day" may be substituted by the word "end" (This amendment is intended to give one month time to eligible export houses, instead of 15 days, for furnishing quarterly statements of receipt and disposal of imported materials.)
31	Section I—Part C Para 40	The word "Classification" in 11th line may be substituted by the word "acquisition".
199	W. 1 Col. 4	For "Group No. 1" read "Serial Number No. 1".

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 जून, 1974

विषय:—अप्रैल, 1974—मार्च, 1975 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति।

सं० 89-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या: 44-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74 दिनांक 2-4-74 के अन्तर्गत अप्रैल, 1974-मार्च, 1975 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेड बुक के वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेड बुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
7	खण्ड—1 भाग-बी कंडिका 22	आंकड़े और शब्द "15 वें दिन" को शब्द "अन्तिम" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। (यह संशोधन आयातित माल की प्राप्ति और निपटान के त्रैमासिक ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए पात्र निर्यात सदनों को 15 दिनों के बजाए 1 माह की अवधि प्रदान करने के विचार से है)।
31	खण्ड—1 भाग—सी कंडिका 40	ग्यारह वीं पंक्ति में शब्द "वर्गीकरण" को शब्द "अधिग्रहण" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।
199	डब्ल्यू। कालम 4	"वर्ग संख्या 1" के लिए "क्रम संख्या एन० 1" पढ़ें।

SUBJECT :—*Import Policy for Registered Exporters for the period April 1974—March 1975*

No. 90-ITC (PN)/74.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporter as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Volume II) for the period April 1974—March 1975 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 44-ITC (PN)/74 dated the 2nd April, 1974.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below :—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
99	B.2.3	For the entry under Col. 2, the following may be substituted under Cols. 2 to 5:—

2	3	4	5
Rubber Chemicals	50%	(*a*) Aniline (*b*) Cyanogen chloride (*c*) Beta napthal (30%)	(*i*) Direct exports of this product will not qualify for import replenishment. This provision is intended only for the purpose of supplies made by indigeneous producers under approved arrangements.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय :—अप्रैल, 1974—मार्च, 1975 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति ।

सं 90-आई० टी० सी० (पी० एन०) 74.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74, दिनांक 2 अप्रैल, 1974 के अन्तर्गत अप्रैल, 1974-मार्च, 1975 अवधि के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेड बुक के वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेड बुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
99	बी० 2.3	कालम 2 के अन्तर्गत प्रविष्टि के स्थान पर कालम 2 से 5 तक में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :—

2	3	4	5
रबर कैमिकल्स	50 प्रतिशत	(क) एनीलिन (ख) स्यानोजन क्लोराइड (ग) बीटा नेप्थल (30 प्रतिशत)	(i) इस उत्पाद के सीधे निर्यात आयात प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं बनाएगें। इस व्यवस्था का अभिप्राय केवल अनुमोदित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत देसी उत्पादकों द्वारा किए गए संभरण के लिए है।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974